|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड   नोटिस  कंपनी अधिनियम, 2013 एवम सेबी (ल ओ ड र) रेगुलेशन २०१५ के अनुसरण में एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी द्वारा जारी किये गये बंधपत्रों की निम्नलिखित श्रृंखला हेतु ब्याज प्राप्त करने के हकदार बंधपत्रधारकों के लिए निम्नांकित रिकार्ड तारीख (खों) का निर्धारण किया गया है : --   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | क्र.सं. | बॉण्‍ड विवरण | ब्याज और मोचन राशि भुगतान की तारीख | रिकार्ड तारीख | | 1. | 9.00%(करयोग्‍य)सिक्‍योर्डरिडीमेबलनॉनकन्‍वर्टिबलबॉण्‍ड्स– एएक्स सिरीजआईएनई 114ए07869 | 14.10.2024 | 23.09.2024 | | 2. | 8.80%(करयोग्‍य)सिक्‍योर्डरिडीमेबलनॉनकन्‍वर्टिबलबॉण्‍ड्स- एके – XI सिरीज,आईएनई 114ए07620 | 26.10.2024 | 07.10.2024 | | 2. | 8.80%(करयोग्‍य)सिक्‍योर्डरिडीमेबलनॉनकन्‍वर्टिबलबॉण्‍ड्स- एके – XII सिरीज,आईएनई 114ए07638 | 26.10.2024 | 07.10.2024 |   बंधपत्रों के मामले में बंधपत्रधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे बंधपत्रअंतरण, पते, बैंक ब्यौरे, ईसीएस अधिदेश, बैंक के आईएफएससी कोड, पैन(PAN) आदि में परिवर्तन से संबंधित अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी भागीदार को भेज दें। जिन बंधपत्रधारकों के नाम इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित बंधपत्रों के मामले में डिपोजिटरी द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार रिकार्ड तारीख तक हिताधिकारी स्वामी के रूप में रिकार्ड तारीख तक कंपनी के बंधपत्र रजिस्टर में बंधपत्रधारक के रूप में शामिल कर लिया जाता है वे ही संबंधित ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे। ब्याज का उपर्युक्त भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती के अध्याधीन होगा। कर कटौती में छूट के पात्रबंध पत्रधारकों को छूटप्रमाण-पत्र और / अथवा आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण-पत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय- इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली**-110003** में उपरिलिखित रिकार्ड तारीख तक या उससे पहले जमा करा देने की सलाह दी जाती है।  स्थानः नई दिल्ली ( एम.बी. बालाकृष्णन )  दिनांकः 08.09.2023 कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव    पंजीकृत कार्यालय : इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली**-110003** |